नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर-6, नौएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर-201301

पत्र सं0 नौएडा/आर.डब्लू.ए./22/RTI/ 87
दिनांकः 19 /05/2022

1- श्री रंजन तोमर,
ग्राम रोहिल्लापुर, जे0बी0एम0 ग्लोबल स्कूल
सैक्टर-132, नौएडा ।

2- FOAA Sector-61, Noida
Add- C-612 Prateek Feedora Plot No. E-11
Sector-61, Noida.

3. श्री शोभित जैन,
निवासी डी–159, सैक्टर–61,
नौएडा ।

विषयः- आर.टी.आई. संख्या 60187,60216 एवं 80041 के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पत्रों दिनांक 27.04.2022, 08.05.2022 एवं 09.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि आर.डब्ल्यू.ए. विभाग के आर0टी0आई0 पोर्टल पर दिनांक 17.05.2022 को प्राप्त हुए है, के द्वारा मांगी गई सूचना गेटों को खोलने एवं बन्द करने से संबंधित है । इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा सैक्टरों में गेटों के संचालन हेतु एक नीति बनायी गई है नीति के अनुसार ही गेटों के संचालन का अनुपालन कराना सम्बन्धित वर्क सर्किल का दायित्व है, गेटनीति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

जन सूचना अधिकारी / (आर.डब्ल्यू.ए.)
नौएडा ।

प्रतिलिपिः-
1 प्रभारी जन सूचना अधिकारी को सूचनार्थ ।

जन सूचना अधिकारी / (आर.डब्ल्यू.ए.)
नौएडा ।

AVRWA ... R-37
DATE
LETTER NO
FILE No
GM (Adm)
VICE CHAIRMAN
CHAIRMAN

(70)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्र संख्याः नौएडा/उ0मु0का0अ0/2006/ 126
दिनांक 04.04.2006

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय से जारी कार्यालय आदेश संख्या: 266 दिनांक 05.12.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 295 दिनांक 21.12.2005 के अन्तर्गत नौएडा क्षेत्र के विकसित सैक्टरों में गेट लगाने की व्यवस्था को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है । विकसित आवासीय सैक्टरों में गेट लगाने एवं गेट संचालन की शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

(क) गेट लगाने एवं गेट न लगाने की शर्तें -

1. सैक्टरों की आउटर Peripheri पर मुख्य मार्गों से जोडने वाली सडकों के बाह्य छोर पर उक्त सैक्टर की चयनित आर0डब्लू0ए0 द्वारा गेट लगाये जा सकते है ।
2. सैक्टर के अन्दर अथवा ब्लॉक के अन्दर गेट लगाया जाना अनुमन्य नही होंगा ।
3. एक ही सैक्टर में 2 ब्लॉक अथवा 2 से अधिक ब्लॉकों के मध्य भी गेट लगाना अनुमन्य नहीं होगा ।
4. जिन सैक्टरों में दो ब्लॉक्स के बीच की सडकें 30 मी0 अथवा अधिक चौडी रोड है ऐसे ब्लॉक की आउटर Peripheri की ओपनिंग पर आर0डब्लू0ए0 द्वारा गेट लगाया जा सकता है ।

(ख) गेट संचालन की व्यवस्था की शर्तें-

1. सैक्टर की [illegible] जिन सैक्टरों के नियोजन में मुख्य मार्ग पर ओपनिंग 2 अथवा 2 से कम है ऐसे सैक्टरों में कम से कम एक गेट दिन के समय अवश्य खुला रहेगा ।
2. गेट खुला रखने का समय 16 अक्टूबर से 15 मार्च तक प्रातः 6.00 से रात 10.00 बजे तक और 16 मार्च से 15 अक्टूबर तक प्रातः 5.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक निर्धारित दिन का समय माना जायेगा ।
3. आर0डब्लू0ए0 द्वारा प्रत्येक गेट पर गेट संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा । गेट संख्या के साथ बन्द रखने और खुले रखने का समय अंकित करना भी आवश्यक होगा ।
4. रात के समय सैक्टर में खुले रहने वाले गेट की संख्या और उक्त गेट के लिएIndication प्रत्येक गेट पर दर्शाये जाने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
5. रात के समय प्रत्येक सैक्टर में आने - जाने हेतु कम से कम एक गेट खुला रखना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी गेट पर विज्ञापन हेतु पोस्टर अथवा होर्डिंग अनुमन्य नहीं होगा ।

नोटः-(i) गेट पर लगने वाले सूचनापटट का प्रारूप निम्नानुसार होगा:-

(i) दिशा .... गेट संख्या.....................जो 24 घण्टे खुला है ।
(ii) दिशा .... गेट संख्या.....................जो दिन के समय खुले है । खुले रहने का समय.........

(iii)दिशा ....गेट संख्या...................जो केवल रात के समय खुले है । खुले रहने का समय......................

(ii) सूचनापट पर रात्रि के समय चमकने वाले पेन्ट से मोटे शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा ।

(iii) रात के समय आपातकालीन प्रकरणों में अथवा अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के उददेश्य से आर०डब्लू०ए० के अध्यक्ष और महासचिव के दूरभाष के अतिरिक्त, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन के दूरभाष संख्या इंगित करना अनिवार्य होगा ।

पूर्व में जारी आदेशों को समाप्त माना जायेगा । उपरोक्तानुसार गेट व्यवस्था की वर्तमान नीति लागू किये जाने के लिए समस्त आर०डब्लू०ए० से सहयोग की अपील की जाती है । जो गेट उपरोक्त शर्तों में सम्मिलित नहीं है ; उन्हे अनाधिकृत माना जायेगा । प्रत्येक आर०डब्लू०ए० से अनुरोध है कि वे जनहित में अनाधिकृत गेटस दिनांक 15.04.2006 तक स्वयं हटवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें । वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता (प्रवर्तन प्रकोष्ठ) नौएडा को दिनांक 15.04.2006 के उपरान्त अनाधिकृत गेट हटाने की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है ।

यह कार्यालय ज्ञाप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(सी०पी० सिंह)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ ।
2. वरि० परियोजना अभियन्ता (प्रवर्तन प्रकोष्ठ) को अनुपालन हेतु ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलीय अधिकारी ।
4. महासचिव, आर०डब्लू०ए० आवासीय सैक्टर को इस आशय से कि तदानुसार कार्यवाही कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी